

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य मार्ग-21 के किमी0 संख्या-442.100 से किमी0 संख्या-448.680 (बिलरायां से पनवाड़ी) तक 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य के अन्तर्गत क्षतिपूरक वनीकरण (वृक्षारोपण) के लिए अपेक्षित भूमि वृक्षारोपण हेतु प्रबन्धकीय दृष्टि से उपयुक्त है। बीहट वन ब्लाक धारा-20 के अन्तर्गत विज्ञापित है। जो अवनत भूमि है तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन विभाग-महोबा

(सुधीर कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
महोबा वन प्रभाग, महोबा।